परिपत्र सं. 2/2026

एफ.नं. 275/10/2026- आईटी (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 2026

विषय: 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा के विस्तार के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश – के संबंध में

आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 203 में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है। टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की समय-सीमाएँ आयकर नियम, 1962 ("नियम") के नियम 31 के अंतर्गत निर्धारित हैं।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ("बोर्ड") को 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही के टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में हुई देरी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर आई तकनीकी खामियों के कारण हुई है। ऐसी खामियों के कारण कर कटौतीकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर प्रमाणपत्र तैयार करने और जारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
3. कर कटौतीकर्ताओं द्वारा झेली गई वास्तविक कठिनाई को देखते हुए, बोर्ड, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त तिमाही के लिए नियमों के नियम 31 के साथ पठित अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि **31 मार्च, 2026** तक विस्तारित करता है।

विस्तारित अवधि के भीतर जारी किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र निर्धारित समय के भीतर जारी किया गया माना जाएगा।

(रूबल सिंह)

उप सचिव, आयकर-बजट

सीबीडीटी

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीबीडीटी
2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुखआयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक
3. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
4. आयकर आयुक्त (मीडिया एवं टीपी) तथा सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता, नई दिल्ली।
5. अपर महानिदेशक (पीआर पीएंडपी) आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ, www.irsofficersonline.gov.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7. वेब प्रबंधक, आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, www.incometaxindia.gov.in की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थाना, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
9. सभी कॉमर्स चैंबर्स
10. हिंदी प्रकोष्ठ, अनुवाद हेतु
11. गार्ड फ़ाइल

(रूबल सिंह)

उप सचिव, आयकर-बजट

सीबीडीटी